

२९.०८.२५

अधिवक्ता वादी उप०। अधिवक्ता प्रतिवादीगण
उप०। साक्ष्य प्रतिवादीगण में गवाह उपास्थित
नहीं। साक्ष्य पेश करने हेतु अवसर चाहा।
सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया
जिससे जाहिर है कि साक्ष्य प्रतिवादीगण
हेतु पर्याप्त से भी अधिक अवसर दिए जा
चुके हैं परंतु साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं की
जा रही हैं, साक्ष्य प्रतिवादीगण हेतु गवाहों
को आज भी उपास्थित नहीं रखा गया है
जिससे आज भी गवाहों से जिरह नहीं हो
पायी है। गत पेशी पर अधिवक्ता प्रतिवादीगण
को निर्देशित किया गया था कि गवाहों को
साक्ष्य प्रतिवादीगण हेतु उपास्थित रखें अन्यथा
साक्ष्य प्रतिवादीगण बंद समझी जावेगी। न्याय
समय ५.३० pm हो चुका है परंतु गवाह
न्याया में उपास्थित नहीं हैं। अतः समस्त
तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए
साक्ष्य प्रतिवादीगण बंद की जाती हैं। पत्रा
वास्तै कक्ष अंतिम दिनांक ०८/१/२५
को पेश है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट

जहाजपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)